

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 20/2020

- 1.1 श्रवणी पत्नी लिछमण जाति जाट निवासी गोपालपुरा
- 1.2 बलबीरसिंह पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी गोपालपुरा
- 1.3 रणवीरसिंह पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी गोपालपुरा
- 1.4 सत्यपालसिंह पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी गोपालपुरा
2. सुमित्रा देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी माईधन जाति जाट निवासी गोपालपुरा
3. मन्जु उम्र 50 वर्ष पुत्री माईधन जाति जाट निवासी गोपालपुरा
4. फतेहसिंह उम्र 47 वर्ष पुत्र माईधन जाति जाट निवासी गोपालपुरा

वादी

बनाम

1. श्रीचन्द उम्र 59 वर्ष पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गांधी चौक झुझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 06.10.2021

वादी द्वारा जरिये अभिभाषक वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद स्थित भूमि ख0न0 174 रकबा 0.40 है0 तथा ख0न0 175 रकबा 0.45 है0 गत ख0न0 53 रकबा 3 बीधा 7 बिश्वा पुख्ता भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी काश्तकारी भूमि थी। जिसमें से 1 बीधा 8 बिश्वा भूमि दिनांक 29.5.2003 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी संख्या 1/1 ल0 1/4 व 2 ल0 4 के पूर्वज स्व0 लिछमण व माईधन को विक्रय कर दी थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूलवश विक्रय पत्र का नामान्तरकरण वादी संख्या 1/1 ल0 1/4 एवं वादी संख्या 2 ल0 4 के पूर्वज स्व0 लिछमण व स्व माईधन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाया। अतः ग्राम इन्द्रपुरा के हाल ख0न0 174 रकबा 0.40 है0 तथा ख0न0 175 रकबा 0.45 है0 गत ख0न0 53 रकबा 3 बीधा 7 बिश्वा में से मुताबिक विक्रय पत्र 1 बीधा 8 बिश्वा भूमि का वादी संख्या 1/1 ल0 1/4 व वादी संख्या 2 ल0 4 को सामुहिक रूप से बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 के तहत दिनांक 6.10.2021 को ग्राम पंचायत हमीरी कलां में आयोजित कैम्प में वादीगण द्वारा उपस्थित होकर वादपत्र में चाही गई सिद्धि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया तथा कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 श्रीचन्द के द्वारा इकबालिया जवाब पूर्व में दिया जा चुका है। वादीगण के कथन एवं



(Handwritten signature)

में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं कैम्प के दौरान मजमे आम में स्थित मौतबिरान व्यक्तियों से आपत्ति/पूछताछ की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने इकबालिया जवाब में वादपत्र अनुसार चाही गई सिद्धि दिया जाना स्वीकार करते हुये कथन किया गया कि ग्राम इन्द्रपुरा के हाल ख0न0 174 रकबा 0.40 है0 तथा ख0न0 175 रकबा 0.45 है0 गत ख0न0 53 रकबा 3 बीधा 7 बिश्वा में से 1 बीधा 8 बिश्वा भूमि वादी संख्या 1/1 ल0 1/4 व 2 ल0 4 के पूर्वज स्व0 लिच्छमण व माईधन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान की गई थी एवं मुताबिक विक्रय पत्र 1 बीधा 8 बिश्वा भूमि का वादी संख्या 1/1 ल0 1/4 को हिस्सा 1/2 व वादी संख्या 2 ल0 4 को हिस्सा 1/2 का सामुहिक रूप से खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है साथ ही विवादीत आराजी का सम्पूर्ण रहन प्रतिवादी संख्या 1 की शेष भूमि पर कर दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के इकबालिया जवाब एवं कैम्प में उपस्थित मौतबिरान व्यक्तियों की अनापत्ति के आधार पर न्यायहीत को ध्यान में रखते हुये ग्राम इन्द्रपुरा के हाल ख0न0 174 रकबा 0.40 है0 तथा ख0न0 175 रकबा 0.45 है0 गत ख0न0 53 रकबा 3 बीधा 7 बिश्वा में से मुताबिक विक्रय पत्र वादी संख्या 1/1 ल0 1/4 व वादी संख्या 2 ल0 4 को 1 बीधा 8 बिश्वा भूमि का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां स्थित गत भूमि ख0न0 53 रकबा 3 बीधा 7 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 174 रकबा 0.40 है0 व ख0न0 175 रकबा 0.45 है0 में से 1 बीधा 8 बिश्वा भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 25.9.2003 के अनुसार वादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 को हिस्सा 1/2 एवं वादी संख्या 2 लगायत 4 को हिस्सा 1/2 का सामुहिक रूप से खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। विवादीत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही आदेशानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। फैसला प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 के तहत ग्राम पंचायत हमीरी कलां में आयोजित कैम्प में मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



(साधुराम जाट)
 उपखण्ड अधिकारी,
 (साधुराम जाट)
 मलसौर
 प्रशासन गावों के संग अभियान - 2021